



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15452

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1707/2026

संजय कुमार एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 22 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: राम यश चौहान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रतिवादी संख्या 3 - उप-जिलाधिकारी, जखनिया, जनपद गाजीपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत 19.10.2024 से लंबित वाद संख्या 16371/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202514290516371 (संजय कुमार एवं अन्य बनाम कैलाश एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को एक समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णीत किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:— "(3). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर उप-जिलाधिकारी द्वारा समाप्त की जाएगी।"
5. यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर को निर्देशित किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाता है कि वे उपर्युक्त वाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णीत करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"